

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशीयत्वा जज

को ६ महीने  
अनुभव के रूप  
एक ही महीने ३  
जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या- 88/2023 अंतर्गत धारा-78 एल.आर. एक्ट  
(GCMS No. 2023/112)

1. लखविन्द्र कौर पत्नी मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी अर्जनसर स्टेशन तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

**बनाम**

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन चक 5 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

28.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की अपील को अपीलांट आगे चलाना नहीं चाहते व NOT PRESS के आधार पर खारिज करवाना चाहते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 16.05.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये NOT PRESS खारिज करवाना चाहते है। अतः यह अपील अपीलांट जरिये NOT PRESS खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर